न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 11/2017 अपील (RCMS/2017/00013)
पंजीयन दिनांक — 08.03.2017
निर्णय दिनांक — 06.05.2019

1. इस्माईल पिता करीम खां, निवासी कुंआखेड़ा, रावतभाटा हाल गांधीसागर, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री पी.सी.पालीवाल — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — वकील रेस्पोडेंट—राजकीय अभिभाषक

प्रकरण संख्या—06/2016, इस्माईल बनाम तहसीलदार, रावतभाटा में उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 06.05.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा प्रकरण संख्या—06/2016, इस्माईल बनाम तहसीलदार, रावतभाटा में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अपीलार्थी इस्माईल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी मौजा कुआखेड़ा तहसील रावतभाटा में खतौनी संख्या—109 पर अपीलार्थी की खातेदारी हक से खसरा नम्बर 464 रकबा 1.08 हैक्टेयर लगान 3.75 पैसे दर्ज रिकार्ड थी, जिस पर अपीलार्थी काबिज होकर लम्बे समय से काश्त करता आ रहा है। दौराने सेटलमेंट अपीलार्थी की भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी और अपीलार्थी का नाम खाते से हटा दिया गया, मौके पर अपीलार्थी का आज भी कब्जा होकर काश्त कर रहा है। वर्तमान में अपीलार्थी का नवीन खसरा नम्बर 902 और

903 रकबा 1.08 हैक्टेयर पर कब्जा है, जो बिलानाम सरकार गलती से दर्ज हो गई, ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा प्रकरण न्याय आपके द्वार केम्प जावदा में रख भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों अनुसार अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 04.07.2016 पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 06.05.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि दौराने सेटलमेंट अपीलार्थी उस भूमि पर काश्त कर रहा था जिसके नवीन खसरा नम्बर 902, 903 है। उक्त भूमि वर्तमान में उसने पांति पर काश्त करने हेतु इकबाल हुसैन को दे रखी है। सेटलमेंट अधिकारियों ने द्वेषतापूर्वक कार्य करते हुए अपीलान्ट का नाम खाते से हटाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जिसका भू–प्रबन्ध अधिकारियों को किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। अपीलार्थी का नाम रिकार्ड से हटाने से पूर्व उसको कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर तहसीलदार, रावतभाटा ने अपनी ओर से रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 प्रस्तुत की जिसमें आराजी नम्बर 902, 903 पर अपीलांट का कब्जा होना अंकित किया गया है। उक्त रिपोर्ट न्याय आपके द्वारा केम्प जावदा में नियत की जाकर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये जाकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। साबिक सेटलमेंट में विवादित आराजीयात साबिक नम्बरान से अपीलांट के खातेदारी रिकार्ड दर्ज रही परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर विचार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लोक अदालत के तहत पारित किया गया। लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा चाहते हो, जब प्रश्नगत प्रकरण में इस प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध प्रकरण निस्तारित कर दिया। कैंप में अपीलार्थी के हस्ताक्षर कर उसे जाने के लिए कहा जिससे उसको निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी और जानकारी होते ही विधिक राय लेकर अपील पेश की जिसमें हुई देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का पेश किया गया। अन्त में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की, सेटलमेंट के खसरा से मिलान नहीं होना

पाया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार एवं विश्लेषण किया गया। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण दर्शित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वर्णित कारण संतोषप्रद एवं उचित प्रतीत होने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम स्वीकार योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 902 व 903 पर अपीलार्थी का कब्जा होकर काश्त कर रहा है। कब्जे के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी अंकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद की स्थिति का अपीलार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में उचित परिक्षण किया गया। यह जांच किया जाना प्रतीत नहीं होता है कि क्या भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के खातेदारी भूमि को बिलानाम किया गया है या नहीं, जबकि अपीलार्थी द्वारा कुंआखेडा की सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी प्रस्तुत की जिसमें खसरा नम्बर 464 अपीलार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज थी। अभिलेख के अवलोकन एवं अधिवक्ता पक्षकारान के कथनों से प्रकरण में तथ्यों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विचार व विश्लेषण नहीं किया गया है।

प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 04.07.2016 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा का निर्णय दिनांक 04.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 06.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर